पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक/कार्मिक
हाजीपुर

दिनांक- 24.06.2025

सं0:- ECR-HQ0PERS(RECT)/0001/2025(Comp. No.314044)

अधिसूचना

विषय:- मुख्यालय/हाजीपुर में मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से रेल सेवा से सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण निरीक्षक संवर्ग के कर्मचारियों का मुख्यालय/हाजीपुर में अस्थाई रूप से पुनर्नियोजन किए जाने के संबंध में।

संदर्भ:- (1) रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 E(NG)II/2024/RC-4/9 Dt. 15.10.2024 & 31.12.2024.(RBE 96/2024 & 115/2024)
(2) इस कार्यालय का पत्र सं0 ECR-HQ0PERS(RULE)/0002/2025(310264) Dt. 22.01.2025

****

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 E(NG)II/2024/RC-4/9 Dt. 15.10.2024 & 31.12.2024 के निर्देशानुसार पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से रेल सेवा से सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण निरीक्षक संवर्ग के कर्मचारियों से मुख्यालय/हाजीपुर के निम्नलिखित पदों के विरूद्ध मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पूनर्नियोजन (Re-engagement) करने का निर्णय लिया गया हैं।

अधिसूचना हेतु पदों का विवरण निम्नवत हैं:-

क्र0सं0	पद का नाम	पे-लेवल	पदों की संख्या
01	मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक	लेवल-08	03
02	मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक	लेवल-07	03
03	कर्मचारी कल्याण निरीक्षक	लेवल-06	05

पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण निरीक्षक संवर्ग के वैसे कर्मचारी जो निम्नलिखित नियमों एवं शर्तो को पूरा करते हो से अनुलग्नक-"A" के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता हैं।

पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता शर्ते नीचे दी गई हैं:-

1. अधिसूचित पद से सेवानिवृत रेलवे कर्मचारी पहले से ही उस विशिष्ट पद पर काम कर चूके हैं जिसके लिए आवेदन किया गया हैं।
2. वैसे कर्मचारी जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत/पदच्यूत या सेवा से बरखास्त किए गए हों और संरक्षा संबंधित सेवानिवृत योजना(SRSS)/संरक्षा कोटियों पर लागू उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत योजना(LARSGESS) के अंतर्गत स्वैच्छि रूप से सेवानिवृत हुए हों वैसे कर्मचारी आवेदन करने के पात्र नहीं होगे।
3. आवेदन पद के लिए निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में फिट पाए जाने पर हीं अंतिम रूप से पुनर्नियोजित किया जाएगा।
4. सेवानिवृत कर्मचारियों की पुनर्नियोजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।
5. सेवानिवृत कर्मचारियों का पुनर्नियोजन 01 वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। हालांकि, किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर, उसकी नियुक्ति अवधि को एक वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
6. पुनर्नियोजित किए जाने वाले कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक का निर्धारण उसके/उसकी अंतिम आहरित वेतन से पेंशन राशि घटाकर की जाएगी (Deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement) तथा वार्षिक वेतन वृद्धि/महंगाई भत्ता/एचआरए देय नहीं होगा।
7. निवास और कार्यस्थल के बीच आवागमन के प्रयोजन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और सुनिश्चित राशि की अनुमति दी जाएगी, जो सेवानिवृति के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।
8. सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिन की दर से सवैतनिक अनुपस्थिति अवकाश की अनुमति दी जा सकती हैं।
9. सेवानिवृत कर्मचारियों का पुनर्नियोजन हेतु उपयुक्तता का निर्धारण नामित समिति द्वारा उनके पुनर्नियोजित से पहले व्यक्तिगत साक्षात्कर के माध्यम से किया जाएगा। पुनर्नियोजित कर्मचारी डीएआर/सतर्कता मामलों से भी मुक्त होना चाहिए।
10. आरआरबी/आरआरसी से चयनित उम्मीदवार या स्थानांतरण/पदोन्नति पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने पर पुन: नियुक्त सेवानिवृत कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा।
11. प्रशासन पुन: नियुक्त कर्मियों की सेवा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं यदि उनका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता हैं तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त किया जा सकता हैं।
12. पुनर्नियोजित कर्मचारियों के काम के घंटे नियमित कर्मचारियों के समान ही होंगे।
13. ऐसी पुनर्नियोजित की अवधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा जैसा कि नियमित सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य हैं।
14. कर्मचारियों की पुनर्नियोजित पीएलबी या किसी अन्य अतिरिक्त लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
15. पुनर्नियोजित कर्मचारियों को इसीएस पीडब्ल्यूए भुगतान के तहत किसी भी कवरेज के लिए कवर नहीं किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

16. ग्रेच्यूटी अधिनियम या रेलवे सेवा के लिए स्वीकार्य कोई अन्य वैधानिक अधिनियम पुनर्नियोजित कर्मचारी पर लागू नहीं होगा।
17. पुनर्नियोजित कर्मचारी किसी भी कल्याण योजना अर्थात सीजीए के अंतर्गत कवर नहीं होंगे।
18. पुनर्नियोजित कर्मचारी नियमित की तरह स्वीकार्य किसी भी अग्रिम के हकदार नहीं होंगे।
19. यदि पुनर्नियोजित कर्मचारी के कारण रेल प्रशासन को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति होती हैं तो यह राशि उस कर्मचारी को रेलवे खाते में जमा करना होगा अन्यथा इसे देय पेंशन रिलीफ से समायोजित कर लिया जाएगा।
20. पुनर्नियोजित कर्मचारियों से Cash Handling का कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा।
21. किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता कर्तव्यों के प्रति शिथिलता तथा रेल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर बिना किसी नोटिस, Show Cause या Explanation के इनकी सेवा को समाप्त किया जा सकता हैं।
22. पुनर्नियोजित कर्मचारी इस बात का स्मरण रखेगें की आपकी पुनर्नियोजन पूर्णत: अस्थाई हैं।
23. आपके पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी समस्त विर्निदिष्ट नियम आप पर लागू होंगें तथा भविष्य में भी समय-समय पर पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नियमों उपनियमों के तहत आपकी पुनर्नियोजन संचालित होगी तथा आप इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।
24. चयनित कर्मचारियों को उनके संबंधित शाखा अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा उनके लिए निर्धारित कार्यो को पूरा करना अनिवार्य होगा।
25. आरआरबी/आरआरसी से चयनित उम्मीदवारों के शामिल होने या नियमित पदस्थापना पर कर्मचारियों का स्थानांतरण/पदोन्नति पर या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या पद अभ्यर्पण के कारण या जनशक्ति नियोजन के कारण प्रशासन को सेवाओं की आवश्यकता नहीं हैं एवं पुनर्नियोजित कर्मचारियों को सेवा में निरंतरता का अधिकार नहीं होगा।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियॉ संलग्न होनी चाहिए:-

1. सेवा प्रमाण पत्र
2. पेंशन पहचान पत्र
3. पेशन भुगतान ओदश
4. अंतिम वेतन पर्ची
5. बैंक पासबुक की छायाप्रति
6. नवीनतम दो पासपोर्ट साइज फोटो
7. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति
8. शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की छायाप्रति

अत: पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से सेवानिवृत वैसे कर्मचारी जो उपरोक्त सभी नियमों एवं शर्तो को पूरा करते हो एवं सहमत हो तो वे अपना आवेदन निर्धारित प्रोफॉर्मा अनुलग्नक-"A" के माध्यम से सभी संबंधित प्रपत्रों के साथ संलग्न कर **दिनांक 10.07.2025** तक इस कार्यालय में जमा करेंगे जिसमें लिफाफा पर सबसे उपर में पुनर्नियोजन हेतु आवेदित पद का उल्लेख करते हुए आवेदन दे सकते हैं। **दिनांक 10.07.2025** के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन भेजने का पता:-
महाप्रबंधक(कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल, मुख्यालय/हाजीपुर
बिहार-844101.

(रमेश कुमार)
सहायक कार्मिक अधिकारी/समन्वय
कृते महाप्रबंधक(का0)/हाजीपुर

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. प्रवसि/पूमरे/हाजीपुर।
2. प्रमुकाधि के सचिव - प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. मुकाधि /प्र० के PS-II को मुकाधि /प्र० महोदय के सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण संगठन/पूमरे/महेन्द्रुघाट, पटना।
5. मुख्य कारखाना प्रबंधक/सडिमका/हरनौत, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं प्लांट डिपो/डीडीयू।
6. अध्यक्ष/आरआरबी/पटना एवं मुजफरपुर।
7. मंरेप्र(का0)/पूमरे/धनबाद, दानापुर, डीडीयू, समस्तीपुर एवं सोनपुर।
8. सकाधि/एम.पी.पी.-नेट पर अपलोड करवाने हेतु।
9. महासचित/ईसीआरईयू एवं एससीएसटीएसो/पूमरे/हाजीपुर।
10. सूचना पट्ट।

Pls upload
PS-II to MPP
25.06.25

24/6/25
कृते महाप्रबंधक(का0)/हाजीपुर

अनुलग्नक-"A"

पूर्व मध्य रेल

पूर्व मध्य रेल से सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण निरीक्षक संवर्ग के कर्मचारियों का मुख्यालय/हाजीपुर में पुनर्नियोजन हेतु आवेदन।

अधिसूचना सं0- ECR-HQ0PERS(RECT)/0001/2025(Comp. No.314044) दि0 24.06.2025

सेवा में
महाप्रबंधक(का0)
पूर्व मध्य रेल, मुख्यालय/हाजीपुर
बिहार-844101

मैं पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय/हाजीपुर में उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित नियमों एवं शर्तो के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करता/करती हूँ। मेरा सेवा विवरण निम्नवत हैं:-

1. नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. सेवानिवृति के समय धारित पद :
4. किस मंडल/विभाग/यूनिट से सेवानिवृत हुए:
5. जन्म तिथि :
6. नियुक्ति तिथि :
7. सेवानिवृति तिथि :
8. शैक्षणिक योग्यता :
9. पे बैण्ड+ग्रेड पे/पे लेवल(सेवानिवृति के समय):
10. आवेदित कोटि/पद पर की गई सेवा अवधि:
11. यदि समान्य सेवानिवृति के अलावे सेवानिवृत हुए हैं तो निम्न पर चिन्ह लगावें:

Voluntary Retirement	Compulsory Retirement	LARSGESS/SRSS	Other

12. पत्राचार का पता(पिन नम्बर सहित):
13. मोबाईल नम्बर :
14. अंतिम आहरित मूल वेतन एवं पे-लेवल :
15. बेसिक पेंशन :
16. सेवानिवृति के समय मेडिकल कोटि :
17. पी.पी.ओ. नम्बर :

<u>संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज</u>

1. सेवा प्रमाण पत्र
2. पेंशन पहचान पत्र
3. पेशन भूगतान ओदश
4. अंतिम वेतन पर्ची
5. बैंक पासबुक की छायाप्रति
6. नवीनतम दो पासपोर्ट साइज फोटो
7. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति
8. शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की छायाप्रति

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं। यदि किसी प्रकार की गलत सूचना पाया जाता हैं तो मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिए उतरदायी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि अधिसूचना में दिए गए निर्धारित नियमों एवं शर्तो को निष्ठापूर्वक पालन करूंगा/करूंगी। मैं SRSS/LARSGESS एवं Medical unfit for all categories से सेवानिवृत नहीं हुआ/हुई हूँ। बिना किसी पूर्व सूचना के/बिना कोई स्पष्टीकरण या कारण बताए मेरा पुनर्नियोजन समाप्त किया जा सकता हैं।

दिनांक:-

सेवानिवृत कर्मचारी का हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner